न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 59/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कमाली पुत्र सूरजमल
2. ईस्माईल पुत्र रतन | जाति मेव नि0 अकबर मेव तह0 नगर जिला भरतपुर
3. बरकत पुत्र रूजदार

—— वादीगण

बनाम

1. गुरूवक्स सिंह | पिस0 इन्दरसिंह
2. गुरूदीपसिंह |
3. अमरकौर | पुत्रीयांन इन्दरसिंह
4. रामकौर |
5. गुरचरन | पिस0 बुधसिंह पुत्र इन्दरसिंह
6. गुरूजीत |
7. गुरूदीपकौर पत्नि बुधसिंह
   जातियान रायसिख निवासी फूटाकी तह0 नगर जिला भरतपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर
9. नायब तहसीलदार सीकरी

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता वादीगण

श्री गजेन्द्र सिंह, प्रति0

निर्णय दिनांक 30/11/2017

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि विवादित आ0ख0नं0 3378/0.53 बाके ग्राम फूटाकी तह0 नगर पूर्व में इन्दरसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो साविक ख0नं0 2092 से निर्मित हुई है । इन्दरसिंह को 25 बीघा 12 विस्वा जमीन राजस्थान सरकार द्वारा एलॉट हुई थी जिसमें ख0नं0 2092 रकबा 6 बीघा 12 विस्वा बाके

फूटाकी खोहरी भी साम्मिलित था । इन्दरसिंह ने दिनांक 30.08.68 से पूर्व आराजी की समस्त कीमत व सूद जमा करा कर सनद संख्या 63 प्राप्त कर ली थी । इस प्रकार इन्दरसिंह को वि0आ0 में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये । उक्त इन्दरसिंह ने आ0ख0नं0 3378/0.53 दिनांक 17.09.86 को जरिए रजि0 वयनामा विक्रय कर वादीगण को मौके पर कब्जा दे दिया तभी से वादीगण उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इन्दरसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा इन्द्राज उसके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज हो गये जो मुकाबले वादीगण वातिल व बेअसर हैं । उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रति0 वि0आ0 को रहन वय मुंतकिल करने तथा वादीगण को आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं । विदी वहज वादीगण डिक्री डिक्लेरेशन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को आ0ख0नं0 3378/0.53 बाके ग्राम फूटाकी खोहरी तह0 नगर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी0 को तलब किया गया । प्रति0 1 से 7 ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वि0आ0 का इन्दर सिंह द्वारा कभी कोई बेचान नही किया गया । वि0आ0 पर एलोटमेन्ट के बाद भी इन्दर सिंह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी0 ने दिनांक 17.09.86 को फर्जी वयनामा तैयार कराया है जिसे वादीगण द्वारा रिकार्ड में अमल करने हेतु पेश ही नही किया तथा इन्दरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त फर्जी वयनामा के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है । वि0आ0 प्रतिवादीगण की गैरखातेदारी की है तथा गैरखातेदारी भूमि का बेचान नही हो सकता । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे । प्रति0 संख्या 7 व 8 के विरूद्ध दिनांक 25.07.08 को एकतरफा कार्यवाही की गई ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर दि0 29.09.08 को निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया वादीगण वि0आ0ख0नं0 3378/0.53 बाके ग्राम फूटाकी खोहरी तह0 नगर के काबिज बतौर खातेदार काश्तकार हैं ? –– जिम्मे वादी0
2. आया वादीगण वि0आ0 के बारे में वाद पत्र में चाही गई डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने के हकदार हैं ? –– जिम्मे वादी0

3. आया वि0आ0 प्रति0 के पिता व बाबा इन्दरसिंह को राज्य सरकार द्वारा एलॉट हुई थी और उसके बाद से ही इन्दरसिंह काश्त करता था और उसके मरणोपरांत प्रति0 काश्त करते चले आ रहे हैं, वादीगण को प्रति0 के पिता व बाबा इन्दरसिंह ने कभी कोई वयनामा नही कराया था ? —— जिम्मे प्रति0
4. आया वादीगण द्वारा दिनांक 17.09.86 का फर्जी वयनामा तैयार कराया गया जो इन्दरसिंह के मरने के बाद वादी0 फर्जी वयनामा के आधार पर दावा व प्रा0पत्र पेश किया है ? —— जिम्मे प्रति0
5. आया वि0आ0 प्रति0 की गैर खातेदारी की आराजी है, गैरखातेदार को गैरखातेदी की आराजी का बेचान नही हो सकता है, फर्जी वयनामा स्वतः ही निरस्त है ? —— जिम्मे प्रति0
6. आया वादी0 को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही होती ? —— जिम्मे प्रति0
7. आया दावा राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया गया है इसलिए 80 सीपीसी का नोटिस के अभाव में दावा चलने योग्य नही है ? —— जिम्मे प्रति0
8. दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2064–69 पदर्श–1, नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–2, नकल वयनामा दिनांक 17.09.86 प्रदर्श–3 एवं फोटो प्रति सनद दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी ईस्माईल पीडब्ल्यू–1, गवाह इरफान पीडब्ल्यू–2, हारून पीडब्ल्यू–3, के बयान कराये हैं । प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में बतौर मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी गुरूबक्स सिंह डीडब्ल्यू–1, गवाह स्वर्णसिंह डीडब्ल्यू–2 एवं सत्यपाल सिंह डीडब्ल्यू–3 के बयान कराये हैं ।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है ।

तनकी नं0 1 व 2 :– ये दोनो तनकीयात एक दूसरे से संबंधित हैं जिनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । इन दोनो तनकियों को साबित करने का भार, वादीगण पर है । वादीगण द्वारा हस्तगत वाद वयनामा दिनांक 12.09.86 के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है । नकल वयनामा दिनांक 17.09.86 प्रदर्श–3 के अवलोकन करने पर पाया की इन्दरसिंह पुत्र वजीरसिंह कौम रायसिख नि0 खोहरी ने वयनामा की लाईन नम्बर 3, 4 में अंकित किया है कि मेरी खुदकाश्त काश्तकारी व खातेदारी का आराजी ख0नं0

3378/0.53 किस्म बारानी दोयम मौजा खोहरी में है तथा लाइन नम्बर 10 से 15 में अंकित किया है कि अपनी उपरोक्त आराजी ख0नं0 2278/0.53 किस्म बारानी दोयम मौजा खोहरी को बदस्त श्री कमाली पुत्र सूरजमल व ईस्माईल पुत्र रतन व बरकत पुत्र रूजदार कौम मेव निवासी अकबरपुर मेव तह0 नगर जिला भरतपुर प्रान्त राजस्थान को बएवज मुवलिग 16,500/– रूपये अंकेन सोलह हजार पांच सौ रूपये के निस्फ जिनके 8250/– रूपये प्रचलित भारत सरकार होते हैं वय कतई यानि माला कलाम कर इकरार करता हूॅ .....''हो रहा है जिससे वयनामा में दो अलग–अलग खसरा नम्बर क्रमशः 3378/0.53, 2278/0.53 दर्ज होना साबित है जबकि इस वयनामा के आधार पर वादीगण ने ख0नं0 3378/0.53 की बावत् खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है इसके अलावा अन्य कोई संशोधन भी वयनामा बावत् प्रस्तुत नही हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो कि यह बयाना 3378/0.53 की बावत् ही है । नकल जमाबंदी सं0 2064–67 प्रदर्श – 1 के खाता संख्या 563 में अन्य नम्बरान के साथ वि0आ0ख0नं0 3378/0.53 की बावत् – ''गुरबक्स सिंह, गुरदीपसिंह पिस0 इन्दरसिंह 2/5 हि0 अमरकौर, रामकौर दु0 इन्दरसिंह 2/5 हि0 गुरूचरन, गुरूजीत पि0 बुधसिंह, गुरूदीप कौर पत्नि बुधसिंह बहि0बरा0 1/5 हि0 कौम रायसिक्ख सा0देह गैरखातेदार ''दर्ज होना पाया जाता है । नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–2 के अवलोकन से हाल ख0नं0 3378/0.53 साविक ख0नं0 2092 रकबा 6 बी0 12 विस्वा से बनाया जाना साबित है तथा फोटो प्रति0 सनद के अनुसार साबिक ख0नं0 2092 रकबा 6 बीघा 12 विस्वा इन्दरसिंह को आवंटित होना साबित है । उक्त विवेचन से यह साबित होता है कि साविक ख0नं0 2092 रकबा 6 वीघा 12 विस्वा इन्दरसिंह को आवंटित होना साबित है । उक्त विवेचन से यह साबित होता है कि साबिक आ0ख0नं0 2092 इन्दरसिंह को आवंटित हुआ जिसको दौराने सैटिलमेन्ट हाल ख0नं0 3378/0.53 में परिवर्तित कर दिया गया तथा वि0आ0 इन्दरसिंह एवं उसके वारिसान प्रतिवादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है । कानूनन गैरखातेदारी को विक्रय करने का अधिकार नही है तथा पत्रावली में शामिल नकल वयनामा दि0 17.09.86 से यह भी साबित नही है कि वयनामा हाल ख0नं0 3378/0.53 ही हुआ हो । ऐसे संदेहास्पद वयनामा के आधार पर वादीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। अतः तनकी नं0 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

<u>तनकी नं0 3</u> :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति0 सनद ग्राम फूटाकी खोहरी के अनुसार साविक आ0ख0नं0 2092/0.12 जिसका मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा पत्रक हाल ख0नं0 3378/0.53 बनाया गया है यह प्रतिवादीगण के पूर्वज इन्दरसिंह को कीमतन आवंटन होना साबित है तथा हाल ख0नं0 3378/0.53 प्रतिवादी0

के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है । इस प्रकार इस तनकी को आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 4 व 5 :– ये दोनो तनकियां एक दूसरे सं संबंधित हैं इसलिए दोनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है । प्रतिवादी0 द्वारा वयनामा दिनांक 17.09.86 फर्जी वयनामा होना बताया है। वयनामा की बैधता के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है । इस प्रकार ये तनकियॉ विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी नं0 1 व 2 वादी0 के विरूद्ध तथा तनकी नं0 3 प्रति0 के पक्ष में निर्णित की गई है जिससे वादीगण अपना दावा साबित करने में असफल रहे हैं । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 30/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर